

5989(E)
29/8/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under, OPRMC-III Package No.-15B/Supaul कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक-2217(E) दिनांक-01.04.2026, पत्रांक-2360(E) दिनांक-09.04.2026 एवं विभागीय ज्ञापांक-5625 (E) दिनांक-17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-1336 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1398(अनु०) दिनांक-22.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III, Package No.-15B/Supaul |
| 2.2 | योजना मद | : | 3054 |
| 2.3 | निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल सुपौल |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹12929.12355 लाख।
विभागीय पत्रांक-3247 (एस) दिनांक-12.05.2026 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹15250.92900 लाख,
मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-918 (अनु०), दिनांक-24.05.2026 |
| 2.6 | ECV/परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹13313.24 लाख। |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.8 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (MBD) |
| 2.9 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 03.07.2026 |
| 2.10 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण | : | पुनर्निविदा नहीं है। |

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 08 (आठ) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) M/S K D Company | (2) SPS Construction India Pvt. Ltd |
| (3) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd | (4) Vinod Kumar Jain |
| (5) Arihant Contractors Pvt. Ltd | (6) Maruti Partayaksha (JV) |
| (7) M/S Kailash Prasad Yadav | (8) M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd |

4. उपभागीय ज्ञापांक-1336 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में कुल 08 (आठ) निविदाकारों में से 04 (चार) निविदाकार यथा (1) M/S K D Company (2) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd (3) Arihant Contractors Pvt. Ltd एवं (4) M/S Kailash Prasad Yadav को तकनीकी बीड में सफल घोषित किये गये। 04 (चार) निविदाकार यथा (1) M/S SPS Construction India Private Limited को MBD के Section 3, Clause 2.6 एवं NIT की कंडिका 28 (2) Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3, Clause 1.2.3 एवं NIT की कंडिका 28 (3) Maruti Partayaksha (JV) को MBD के Section 4B, Clause 17 एवं MBD के Section 3, Clause 2.4.2(b) एवं (4) M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd को MBD के Section 3, Clause 1.2.1(b) में वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।

उक्त के आलोक में निविदाकार Vinod Kumar Jain द्वारा दिनांक 17.08.2026 को उपभागीय कार्यालय में परिवाद समर्पित किया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक-1336 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरुद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 द्वारा कार्यालय में परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1398(अनु०) दिनांक-22.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरुद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 द्वारा उपभागीय कार्यालय में परिवाद समर्पित किया गया जो निम्नवत् है :-

परिवाद/आपत्ति की समीक्षा :-

परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1 <u>Vinod Kumar Jain</u> An advocate welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899. Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid. The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates. Whereas, the validity of an affidavit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths	निविदाकार द्वारा इस निविदा में Uploaded वांछित शपथ-पत्र पर Additional ₹0-25/- का Advocate Welfare stamp affix नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक-3608 (E) दिनांक-22.05.2020 द्वारा किये गये प्रावधान की It is Mandatory to attached Rs. 25/- Advocate Welfare Stamp on affidavit for Advocate Welfare Fund एवं तदनुसार MBD NIT की कंडिका-28 पर निर्दिष्ट उक्त वांछित अर्हता का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than advocate welfare legislation. Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a document falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid cannot be considered as" non-responsive" on this ground.	गया है। निविदाकार द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन के उपरांत अपने परिवाद में उक्त निविदा शर्त पर प्रश्न उठाया गया है, जबकि विषयगत निविदा में दिनांक-10.06.2026 को आयोजित Pre Bid Meeting में इनके द्वारा निविदा के इस शर्त के संबंध में कोई आपत्ति प्रतिवेदित नहीं की गयी। अतः निविदाकार की आपत्ति को अमान्य किया जा सकता है।	
01 Work supporting certificate issued by Engineer-in-Charge not attached. The Contractor/ Bidder in said respect has submitted (i) Work Orders for projects where work has commenced recently but no billing has taken place, hence the Engineer-in-Charge's work-supporting certificate could not been issued; (ii) Regarding 01 work for which the Engineer-in- Charge's certificate could not be obtained due to unavoidable reasons. Since the Engineer-in-Charge's certificate has already been submitted for the majority of the works, non-submission of 01 work certificates due to unavoidable reasons cannot be grounds for declaring the bid non-responsive.	निविदाकार द्वारा इस निविदा में Uploaded Exiting Commitment विवरणी के क्रम सं०-5 पर वर्णित कार्य से संबंधित Engineer-in-charge द्वारा निर्गत अभिलेख Upload नहीं किया गया है। MBD के Section-3, 1.2.3 में Exiting Commitment के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि Current Contract Commitments must be duly certified by the Engineer-in-charge. अतः निविदाकार की आपत्ति को अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

7. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत OPRMC-III पैकेज सं०-15B में शामिल निविदाकार M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd. द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न बैठक में पैकेज सं०-15C में पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत संख्या-01/SBD/2021-22 के तहत कराये जा रहे कार्य में उदासीनता बरतने एवं 'समय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण Non-Performing Contract (Abandoning the work) के आधार पर असफल घोषित किये जाने के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की गयी थी। उक्त आपत्ति की समीक्षोपरांत पैकेज सं०-15C में निविदाकार को सफल घोषित करने का प्रस्ताव विभागीय परिवाद समिति को दिया गया था।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 13.08.2026 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय को आंशिक संशोधित करते हुए विषयगत निविदा में M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd को निविदा की वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करने के कारण पूर्व में सफल घोषित चार (04) निविदाकारों यथा (i) M/S K D Company (ii) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd (iii) Arihant


Page 3 of 6

Contractors Pvt. Ltd (iv) M/S Kailash Prasad Yadav के साथ पाँचवें निविदाकार के रूप में सफल घोषित किया जा सकता है।

8. उपभागीय ज्ञापांक-1336 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में असफल घोषित किये जाने के निर्णय के विरुद्ध असफल निविदाकार M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd. द्वारा पथ प्रमंडल, सुपौल के पैकेज सं0-15C में प्राप्त आपत्ति एवं उसकी समीक्षा निम्नवत् है :-

परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1 <u>M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd.</u> MBD के section 3 Clause 1.2.1 (b) के अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण मुझे असफल घोषित किया गया है, जिसका कारण भी नहीं बतलाया गया है, जबकि किसी भी बैठक में लिये गये निर्णय में तार्किक निष्कर्ष होना आवश्यक है। निविदा के असफल घोषित करने में मूल आधार यह कहा गया है कि हमारे द्वारा पथ प्रमंडल, बेनीपुर के अधीन कराये जा रहे एक एकरारनामा को विखंडित कर Risk एवं Cost पर कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है और उस आधार पर वर्णित एकरारनामा Non-Performing Contract के तहत बतलाया गया है, परन्तु इस संबंध में वैधानिक बिन्दुओं को नहीं देखा गया है, जिसको देखा जाना आवश्यक था। इस संबंध में यह कहना आवश्यक है कि विषयांकित कार्य जिसके आधार पर हमारे निविदा को असफल घोषित किया गया है से संबंधित कार्य में हमारे फर्म को कार्य में उदासीनता बरतने एवं ससमय कार्य पुरा नहीं किये जाने एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीसूची में डाला गया था। उक्त कार्रवाई से क्षुब्ध होकर क्योंकि हमारे द्वारा संबंधित कार्य के प्रति कभी उदासीनता नहीं बरती गयी थी, तो ऐसी स्थिति में अपील अभ्यावेदन भी समर्पित किया गया था। उसमें भी हमें न्याय नहीं मिलने पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC No. 9646/2025 दायर किया गया। उक्त दायर वाद में दिनांक 23.06.2025 को पारित आदेश का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें यह कहा	विषयगत निविदा में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd. को विभाग द्वारा पथ प्रमंडल, बेनीपुर अंतर्गत एकरारनामा संख्या-01/SBD/2021-22 के तहत कराये जा रहे कार्य में उदासीनता बरतने एवं ससमय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा विखंडित कर Risk & Cost पर कराये गये कार्य को दृष्टिपथ में रखते हुए Non-Performing Contract (Abandoning the work) के आधार पर असफल घोषित किया गया था। विभाग द्वारा इसी मामले में निविदाकार को Blacklist किया गया था, जिसके विरुद्ध निविदाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-9646/2025 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक-23.09.2025 के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत Blacklisting का आदेश-09 (E) दिनांक-01.01.2025 एवं 5372 (E) दिनांक-13.08.2025 को विभागीय आदेश ज्ञापांक-8280 (E) दिनांक-09.12.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया है। अतः निविदाकार की आपत्ति को मान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

2

गया है कि Accordingly, impugned order dated 01.01.2025 (Annexure-P/16) stands set aside. The fresh Appellate Authority order is also set aside. The concerned authority is hereby directed to pass a order insofar as blacklisting while taking note of the aforementioned observation. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of this order. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में सक्षम प्राधिकार यथा अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष कार्य प्रबंधन द्वारा उनके पत्रांक 8280 दिनांक 09.12.2025 द्वारा उस कालीकृत के आदेश के साथसाथ अपीलीय प्राधिकार-द्वारा दिये गये निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कराये जा रहे कार्य में उदासीनता बरतने एवं ससमय कार्य पूरा नहीं किये जाने में मेरा कोई दोष नहीं था, अन्यथा विभाग द्वारा हमारे कालीकृत की कार्रवाई को वापस नहीं लिया जाता। उपरोक्त वर्णित कंडिका एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश आलोक में विभाग द्वारा लिये गये निर्णय से स्पष्ट होगा कि हमारे निविदा को हमारे द्वारा एकरारनामा सं0-01/SBD/2021-22 के तहत कराये जा रहे कार्य में उदासीनता एवं कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किये जाने को आधार बनाकर मेरे निविदा को MBD के Section-3 Clause-1.2.1 (b) के आधार पर असफल घोषित किया जाना विधिसंगत नहीं होगा और यह एक अवमाननावाद का मामला बनेगा।		
--	--	--

✖

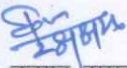
JB

02/03

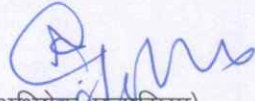
9. परिवाद समिति का निर्णय :-

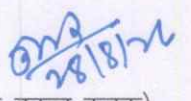
- (i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Vinod Kumar Jain के पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया गया।
- (ii) विषयांकित कार्य के निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd को पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत OPRMC-III पैकेज सं0-15C में दिये गये परिवाद के समीक्षोपरांत तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।
- (iii) 03 (तीन) निविदाकार यथा (1) M/S SPS Construction India Private Limited को MBD के Section 3, Clause 2.6 एवं NIT की कंडिका 28 (2) Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3, Clause 1.2.3 एवं NIT की कंडिका 28 एवं (3) Maruti Partayaksha (JV) को MBD के Section 4B, Clause 17 एवं MBD के Section 3, Clause 2.4.2(b) के तहत निविदा में वांछित न्यूनतम अहर्ता पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।
- (iv) 05 (पाँच) निविदाकार यथा (1) M/S K D Company (2) Agrawal Infrabuild Pvt. Ltd (3) Arihant Contractors Pvt. Ltd एवं (4) M/S Kailash Prasad Yadav एवं (5) M/S Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd को निविदा की वांछित अर्हता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।
- (v) उपभागीय ज्ञापांक-1336 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
- (vi) मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

9.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग, पथ
निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(राजेश कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता, संविदा
प्रबंधन, नीतिगत मामले
एवं लेखा परीक्षा,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

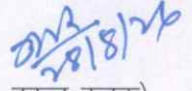

(अभिषेक कुमार)
संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7 / निविदा-03-90 / 2026 5989(E)

पटना, दिनांक 29/8/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।